कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

पत्र संख्या : सं.रा.भा.स./मास्टरफाइल/2016/1388 दिनांक: 21/05/2025

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)/ निदेशक, पीडीनास
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)/अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र.), मुख्यालय
सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विषय: **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 'ग' क्षेत्र में विज्ञापनों को हिंदी में अनिवार्य रूप से जारी करने तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी में जारी विज्ञापनों, होर्डिंग एवं बैनर पर व्यय बढ़ने के संबंध में ।**

महोदया/महोदय

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 02.05.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/1/2025-रा.भा.नी. के अंतर्गत प्रेषित केन्द्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र सं. ई-11016/04/2019 रा.भा. दिनांक 25.03.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से 'क', 'ख' तथा विशेषकर 'ग' क्षेत्र में विज्ञापनों को हिंदी में अनिवार्य रूप से जारी करने तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी में जारी विज्ञापनों, होर्डिंग एवं बैनर पर व्यय बढ़ने के संबंध में सूचना दी गई है।

2. तदनुसार, संगठन के सभी कार्यालयों, विशेषकर 'ग' क्षेत्र में स्थित फील्ड कार्यालयों, से अनुरोध है कि कृपया भविष्य में जारी किए जाने वाले सभी विज्ञापनों को अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में भी जारी किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संसदीय राजभाषा समिति के 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीया

संलग्न: यथोपरि ।

(वीणा रानी यादव)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त, एनडीसी को वेब अपलोड के अनुरोध सहित ।
2. सभी उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक(राजभाषा)/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

फा.सं. 11012/1/2025 रा.भा.नी.

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राजभाषा नीति अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

दिनांक 02.05.2025

कार्यालय आदेश

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 'ग' क्षेत्र में विज्ञापनों को हिंदी में अनिवार्य रूप से जारी करने तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी में जारी विज्ञापनों, होर्डिंग एवं बैनर पर व्यय बढ़ाने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में एतद्द्वारा संलग्न केन्द्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र सं. ई-11016/04/2019 रा.भा. दिनांक 25.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। (प्रति संलग्न)

उक्त पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा पिछले वर्ष किए गए निरीक्षणों के दौरान 'ग' क्षेत्र में प्रत्येक विज्ञापन को हिंदी में अनिवार्य रूप से जारी नहीं करने को गंभीरता से लिया गया है और इस स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही, 'ग' क्षेत्र में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी में जारी विज्ञापनों, होर्डिंग एवं बैनर पर भी कम व्यय किए जाने पर समिति द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया।

अतः माननीय समिति द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों से अनुरोध है कि भविष्य में इन कार्यालयों में विशेषकर 'ग' क्षेत्रों में जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाएं, उन्हें अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में भी दिया जाए ताकि संसदीय राजभाषा समिति के 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

2/5/25

(निकोलस खलखो)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग तथा संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख।

2/5/25

(निकोलस खलखो)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

योगेश कुमार बवेजा, I.I.S.
महानिदेशक
Yoge.. Kumar Baweja, I.I.S.
Director General
Tel. : +91-11-24369521
E-mail : prdgcbc@gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय संचार ब्यूरो
Government of India
Ministry of Information & Broadcasting
Central Bureau of Communication

अर्ध-शासकीय पत्र सं.ई.-11016/04/2019-रा.भा. दिनांक: 25.03.2025

महोदय/ महोदया

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों यथा आकाशवाणी, रांची व दूरदर्शन केंद्र, डालटनगंज तथा आकाशवाणी, कटक व दूरदर्शन केंद्र, भुवनेश्वर के क्रमशः दिनांक 21.10.2024 और दिनांक 23.10.2024 को राजभाषायी निरीक्षण किए गए। इन निरीक्षण बैठकों में समिति ने पिछले एक वर्ष (01.07.2023 से 30.06.2024 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा विशेषकर 'ग' क्षेत्र में प्रत्येक विज्ञापन को हिंदी में अनिवार्य रूप से जारी नहीं करने को गंभीरता से लिया और इस पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। मंत्रालय द्वारा उक्त अवधि (01.07.2023 से 30.06.2024 तक) में विज्ञापनों पर किए गए व्यय के संबंध में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 'ग' क्षेत्र में हिंदी में प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिए गए विज्ञापनों पर समेकित रूप से किए गए व्यय का मात्र 3.4%, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञापनों पर 11.64% और होर्डिंग एवं बैनर पर मात्र 0.1% व्यय किया गया । इस स्थिति पर माननीय समिति ने गहरा असंतोष व्यक्त किया ।

अतः माननीय समिति द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों को निदेश दें कि भविष्य में केंद्रीय संचार ब्यूरो में 'क', 'ख' और विशेषकर 'ग' क्षेत्रों में, जो भी विज्ञापन अंग्रेज़ी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाएं, उन्हें अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में भी दिया जाए ताकि संसदीय राजभाषा समिति के 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

शुभेच्छु

(योगेश बवेजा)

सेवा में,
माननीय सचिव,
सभी मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार।